चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 28.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी व चौकी शिवरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का खुलासा करते हुए 01 चोर को 05 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.लियाकत पुत्र बरकत अली निवासी काशीराम कॉलोनी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त लियाकत का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 837/13 धारा 379,411,511,413,414,420,472 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0सं0 108/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना करारी जनपद कौशाम्बी

3. मु0अ0सं0 127/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बदौसा जनपद बांदा

4. मु0अ0सं0 191/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवली कर्वी जनपद चित्रकूट

फरार अभियुक्त का विवरणः-

1.फहीम पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम समदा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

बरामदगीः-

1.एक अदद मो0सा0 अपाचे बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं0 MD634BE86P2615744

2.एक अदद मो0सा0 स्प्लेण्डर प्रो हीरो रंग काला बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं0 MBLHA10BFHK81643

3. एक अदद मो0सा0 हीरो चेचिस नं0 MVLHAN126LHH04117

4.एक अदद मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस रंग काला इंजन नं0 HA11EVLHH85190

5.एक अदद मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स हीरो रंग ग्रे चेचिस नं0 MBLHA7153J9J17538

6.ई-रिक्शा जिसमें चेचिस अंकित नही है, बैटरी भी नही

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

पथरौड़ी मोड़ थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट **दिनांक** 28.03.2025 **समय** 23.50 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 27.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी व चौकी शिवरामपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पथरौड़ी मोड़ शिवरामपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट के एक मो0सा0 अपाचे को रूकवाया तथा चेचिस नं0 MD634BE86P2615744 को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी गुलाब चन्द्र पुत्र श्यामलाल निवासी गुलामपुरी थाना करारी जनपद कौशाम्बी बताया। शक होने पर अभियुक्त **लियाकत पुत्र बरकत अली निवासी काशीराम कॉलोनी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट** को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूंछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी **फहीम पुत्र अज्ञात निवासी समदा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी** ने उक्त मो0सा0 एक फोटो स्टूडियों के सामने से रात में होली के समय चुराई थी। जिसका रजि0नं0 UP 73 AD 4112 है । इस मो0सा0 के अलावा 04 अन्य मो0सा0, व 01 ई-रिक्शा चोरी की है,जो राम सैय्या के थोड़ा आगे पहाड़ो की तरफ छिपा रखा है। मेरा दोस्त फहीम भी वही पर है, जिसे मैं पकड़वा सकता हूँ । पकड़े गये अभियुक्त को साथ में लेकर बताएं स्थान पर आये अभियुक्त फहीम पुलिस वालों को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया । मौके पर झाड़ियों में झुपे हुए 04 अदद मो0सा0 क्रमशः 2.एक अदद मो0सा0 स्प्लेण्डर प्रो हीरो रंग काला बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं0 MBLHA10BFEHK81643 व इंजन नं0 HA10EREHK39469 को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी मो0 कासिम पुत्र मो0 हनीफ निवासी फतहा हनुमानगंज थाना सराय इनायत प्रयागराज बताया । 3. एक अदद मो0सा0 हीरो रंग काला चेचिस नं0 MVLHAN126LHH04117 व

इंजन नं0 HA11EYLHH03931 को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी मोनू सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी कल्याणपुर थाना बदौसा जनपद बांदा बताया। 4.एक अदद मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस रंग काला चेचिस नं0 स्पष्ट नही, बिना नम्बर प्लेट के इंजन नं0 HA11EVLHH85190 को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो जानकारी नही मिली। 5.एक अदद मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स हीरो रंग ग्रे चेचिस नं0 MBLHA7153J9J17538 इंजन नं0 HA11EMJ9J27923 को ई-चालान एप चेक किया गया तो वाहन स्वामी पहलवान सिंह परमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ओमकार नगर सोमनाथपुरम बताया तथा ई-रिक्शा जिसमें चेचिस व बैटरी भी नही है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूंछताछ में बताया गया कि बैटरी हमलोगों ने फेरी लगाने वालो के बेंच दिया ।

वाहन संख्या UP 73 AD 4112 अपाचे के सम्बन्ध में थाना करारी जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 108/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात तथा बरामद मो0सा0 स्प्लेण्डर UP 90 W 9359 के सम्बन्ध में थाना बदौसा जनपद बांदा में मु0अ0सं0 127/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत है। चोरी का माल बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 191/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस बनाम 1.लियाकत पुत्र बरकत अली निवासी काशीराम कॉलोनी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.फहीम पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम समदा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना कोतवाली कर्वी की टीम

1.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थाना कोतवाली कर्वी

2.उ0नि0 श्री कैलाश नाथ यादव

3.आरक्षी सचिन

चौकी शिवरामपुर की टीम

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शनि कुमार चदुर्वेदी

2.आरक्षी विपिन कुमार

3.आरक्षी दीप प्रताप सिंह

4.आरक्षी विवेक

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मानिकपुर दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक विक्रम सिंह तथा हमराहीगण द्वारा अभियुक्त 1. पप्पू सोनकर पुत्र ननकू सोनकर उम्र 25 वर्ष नि0 मोहल्ला शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. सुरेन्द्र मिश्रा पुत्र नत्थू प्रसाद मिश्रा नि0 ग्राम एलहा बढैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उम्र 35 वर्ष 3. सर्फराज पुत्र सत्तार अली उम्र 27 वर्ष नि0 महावीर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4. बलराम सिंह पुत्र जयलाल सिंह नि0 जवाहर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर चित्रकूट उम्र 30 वर्ष 5. सनि चौधरी पुत्र सन्तोष उम्र 20 वर्ष नि0 जवाहर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 6. राजनारायण यादव पुत्र गौलाल उम्र 37 वर्ष नि0 जवाहर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 7. रहीम खाँ पुत्र जमालुद्दीन उम्र 38 वर्ष नि0 शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से माल फड 4250 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 1110/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली मानिकपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. कुल मालफड़ से 4250/- रुपये
2. 52 अदद ताश के पत्ते
3. जामा तलाशी से 1110/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.अप0निरी0 श्री विनय विक्रम सिंह
2.उ0नि0 श्री रविन्द्र कटियार
3.का0 अजीजउद्दीन
4.का0 अमित द्विवेदी
5.हो0गा0 रविन्द्र कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2020 धारा 307 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भारत यादव पुत्र गौलाल निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 15000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षित विवरण-

दिनांक 30.06.2020 को वादिया राजकुमारी पत्नी महिपाल निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त भारत यादव उपरोक्त के द्वारा उसके पति महिपाल को जान से मारने की नियत से घर से ले जाकर गोली मारकर घायल कर दिया था। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2020 धारा 307 भादवि0 अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री टीकाराम वर्मा द्वारा संपादित की गई। दिनांक 05.07.2020 को आरोपी की गिरफ्तारी कर दिनांक 11.09.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री एस0के यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एस0सी0/एस0टी0 श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनाँक 28.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 963/2014 धारा 354ख,302,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अर्जुन यादव पुत्र देवदत्त यादव निवासी रानीपुर भट्ट कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.12.2014 को कोतवाली कर्वी निवासी एक वादी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त अर्जुन यादव उपरोक्त उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर हाथ पकड़कर घसीटकर ले गया और उसके

चिल्लाने पर उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना के सम्बन्ध मेंकोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 963/2014 धारा 354ख,302,504 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री पाल यादव द्वारा संपादित की गई थी। दिनांक 17.12.2014 को आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 14.02.015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 28.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 785/2008 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भोंदू उर्फ राधाकृष्णा पुत्र बच्चुराम निवासी बरद्वारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.08.2008 को वादी अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी पुत्र बैजनाथ निवासी बरद्वारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्त भोंदू उपरोक्त द्वारा उनके पुत्र मधुकर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना थाना राजापुर में मु0अ0सं0 785/2008 धारा 302/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री बृजभूषण दुबे द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 15.01.09 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(8). आज दिनाँक 28.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि द्वारा चैत्र मास अमावस्या मेला डियूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को कहा गया कि सभी अपनी-अपनी डियूटी पर समय से पहुचेंगे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी डियूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगें।

पूरे मेल को सकुशल संपन्न करने के लिए 05 जोन व 15 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 03 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 13 थाना प्रभारी निरीक्षक,08 निरीक्षक, 64 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 145 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,38 महिला कांस्टेबल, 02 उपनिरीक्षक यातायात,10 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात,10 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू, 02 डॉग स्क्वायड की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं मेला में लगे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।